तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22-9-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी सं. 8 की राजीनामे तहसीलदार अधि. रहते से एक तलबी पे चुकी है अधि. वहले से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हितार्थ पत्रावली 27-9-22 को पेश हो
27-09-22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212, RTA पर बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। ~~बहस~~ समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली आगामी दिनांक 6-10-2022 को पेश हो।
6-10-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना-पत्र पर आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेराल सुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

41/प्रा. पत्र/2017
दायरा दिनांक 03.08.2017

बउनवान

1. इन्द्रा बाई बेवा सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापड़ी।
2. दीपिका पुत्री सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापड़ी।
3. कविता पुत्री सत्यप्रकाश नाबालिग जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता इन्द्राबाई बेवा सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापड़ी।
4. कोमल पुत्री सत्यप्रकाश नाबालिग जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता इन्द्राबाई बेवा सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापड़ी।
5. विवेक आत्मज सत्यप्रकाश नाबालिग जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता इन्द्राबाई बेवा सत्यप्रकाश जाति नाथ निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0। —प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरानाथ आत्मज शंकरनाथ जाति निवासी कॉकराडूँगर तहसील इन्द्रगढ़
2. श्योनाथ आत्मज शंकरनाथ जाति निवासी कॉकराडूँगर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. कजोड़ आत्मज लदूरलाल जाति गुर्जर निवासी गोरधनपुरा तहसील कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
4. मोहनलाल आत्मज गणेशनाथ जाति नाथ निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ़।
5. हजारा आत्मज गणेशनाथ जाति नाथ निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ।
6. काली बेवा गणेशनाथ जाति नाथ निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
7. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय उप तहसील लाखेरी जिला बून्दी राज0।
8. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी राज0 ।
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0। अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
उपस्थितः—1.श्री बालालाल बीडाएडवोकेट
2.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट
3.श्री धीरज जैन एडवोकेट

दिनांक 06.10.2022

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 1146 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा सं. 1147 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा सं. 1148 रकबा 1.80 हैक्ट. ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जो पूर्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 के पिता के खाते में दर्ज थी तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 लगायत 6 के नाम दर्ज हैं। वाद विषयक आराजी पूर्व सहखातेदार रामदेवा, बजरंगा पिता हरिकिशन नाथ निवासीगण डडवाडा के कोई संतान नहीं होने के कारण वाद विषयक आराजी में निहित अपने हिस्से की कृषि भूमि की अंतिम वसियत दिनांक 10.12.1999 को प्रार्थी संख्या 1 के पति तथा प्रार्थीगण सं. 2 लगायत 5 के पिता सत्यप्रकाश पुत्र बद्रीनाथ निवासी पापडी के पक्ष में करा दी थी। सत्यप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण सत्यप्रकाश के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं तथा मृतक वसियतकर्ता के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजी के सहखातेदार शंकरनाथ आत्मज नारायण नाथ का फौती नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा तस्दीक करवाते समय मृतक वसियतकर्ता रामदेवा बजरंगा पिता हरिकिशन नाथ को फौत होना बताकर शंकरनाथ आत्मज नारायण नाथ के फौती नामान्तरकरण के माध्यम से रामदेवा, बजरंगा पिता हरिकिशनाथ के हिस्से की कृषि भूमि का फौती नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 29.06.2016 को शंकरनाथ के साथ अपने नाम करा लिया गया विवादित आराजी में निहित रामदेवा, बजरंगा पिता हरिकिशन नाथ के हिस्से की कृषि भूमि का फौती नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 के नाम तस्दीक होने का नाजायज रूप से फायदा उठाकर वसियतकर्ता के हिस्से की भूमि का विक्रय अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में करवा दिया गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज रूप से लाभ उठाकर प्रार्थीगण को ताकत के बल पर बेदखल कर देगा तथा रहन–बय कर देने की संभावना बढ़ जायेगी जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है और अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3, 7 व 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ताफैसला मूल–वाद प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 की तरफ से जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ शेष बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा जबावोत्तर में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 3 रिकॉर्डेड खातेदार है। रामदेवा तथा बजरंगा ने कोई वसीयत अपने जीवन काल में नहीं की। वसीयत पैतृक संम्पत्ति की वसीयत कानूनन चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 408 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गई। जवाब दाता कब्जा काश्त है तथा विक्रय–पत्र के बाबत प्रार्थीगण के द्वारा किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार कृषक एवं कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए अपने तथ्यों के तर्क में पूर्व न्यायिक दृष्टांत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

R.L.W. 2011(2) R.J. 789 H.C., A.I.R. 2005 PAGE 177, R.R.T. 2018(2) PAGE 848 पेश किये। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जवाब दाता के पक्ष में विधिवत विक्रय पंजीयन करवाकर कब्जा संभलाया गया था। अप्रार्थी संख्या 3 रिकॉर्डेड खातेदार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण परस्पर विवादित प्रकृति का होने से उभयपक्ष को पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उभयपक्षों को ताफैसला मूल–वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1146 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा सं. 1147 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा सं. 1148 रकबा 1.80 हैक्ट. ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संग्लन मूल–वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)